भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 564
जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है।
1 श्रावण, 1947 (शक)

स्टार हेल्थ एलायंस द्वारा डेटा में सेंध

564. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस द्वारा डेटा सेंध किया गया था, जिसके कारण स्टार हेल्थ ग्राहकों के नाम, फ़ोन नंबर, निवास, कर जानकारी, पहचान पत्र की प्रतियां, परीक्षण परिणाम और निदान सहित अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी टेलीग्राम पर साझा की गई थी;
(ख) क्या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70बी के अनुसार, राष्ट्रीय साइबर एजेंसी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) ने डेटा सेंध की जांच शुरू की है और यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीतियां बनाई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): अगस्त 2024 में**,** भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रया दल (सर्ट-इन) को स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस में डेटा उल्लंघन के संबंध में एक रिपोर्ट मिली। सर्ट-इन ने की जाने वाले उपचारात्मक कार्यवाई के साथ प्रभावित संगठन को सूचित किया और आगे की घटना प्रतिक्रिया संबंधी उपायों का समन्वय किया। सर्ट-इन ने आगे की जांच के लिए तमिलनाडु पुलिस को तकनीकी विश्लेषण का ब्यौरा भेज दिया है।

सरकार, बीमा क्षेत्र सहित साइबर खतरों और चुनौतियों से अवगत है। देश में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम**,** 2000 की धारा 70ख के प्रावधानों के अंतर्गत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) परियोजना सर्ट-इन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। एनसीसीसी साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए साइबर स्पेस की जांच करता है। यह कार्रवाई करने के लिए संबंधित संगठनों, राज्य सरकारों और हितधारक एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करता है।

- सर्ट-इन दूरसंचार सुरक्षा प्रचालन केंद्र (टीएसओसी), भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) आदि सहित साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में शामिल अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है।
- सर्ट-इन अन्य एजेंसियों के साथ जी-20 शिखर सम्मेलन, संसद 20 शिखर सम्मेलन, राम जन्मभूमि समारोह, महाकुंभ आदि के दौरान साइबर हमलों को सफलतापूर्वक रोकने में सफल रहा।
- साइबर सुरक्षा पेशेवरों, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस और कानून प्रवर्तन पेशेवरों, वकीलों और सरकारी अभियोजकों, छात्रों आदि के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), बीमाकर्ताओं, दलालों, कॉर्पोरेट एजेंटों आदि सहित विनियमित संस्थाओं के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश भी जारी करता है।
- सर्ट-इन सक्रिय खतरे को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में संगठनों के साथ छोटे-छोटे अलर्ट साझा करने के लिए एक स्वचालित साइबर खतरा आसूचना आदान-प्रदान मंच संचालित करता है।
- साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित की जाती है ताकि सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की साइबर सुरक्षा संबंधी स्थिति और तैयारी का मूल्यांकन किया जा सके।

<u>कानूनी प्रावधान:</u>

- डेटा संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (यथोचित सुरक्षा पद्धति और प्रक्रियाएँ तथा संवेदनशील वैयक्तिक डेटा या सूचना) नियमावली, 2011 **('**एसपीडीआई नियमावली**')** में संवेदनशील वैयक्तिक डेटा या सूचना को संभालने वाले निकाय निगम या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति के लिए समुचित सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अधिदेशित किया गया है।
- व्यक्तियों के वैयक्तिक डेटा की सुरक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका डेटा केवल उनकी सहमति से साझा किया जाता है, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) अधिनियमित किया गया है। डीपीडीपी अधिनियम का उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना और वैध उद्देश्यों के लिए वैयक्तिक डेटा का प्रसंस्करण सुनिश्चित करना है।
- अधिनियम के अनुसार, वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को लागू किया जाना चाहिए और किसी भी वैयक्तिक डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।
- इसके अलावा, डेटा प्रिंसिपल द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग के संबंध में इस तरह के किसी भी उल्लंघन या शिकायत की स्थिति में, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जांच के बाद, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक जुर्माना लगा सकता है। इस अधिनियम में अधिकतम दो सौ पचास करोड़ रुपए तक के जुर्माने के साथ विभिन्न प्रकार से अधिनियम के उल्लंघनों के लिए अलग-अलग मौद्रिक दंड निर्धारित किए गए हैं।

******